डब्ल्यूएम-10(31)/2017
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
विधिक माप विज्ञान प्रभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 04.07.2017

सेवा में,
विधिक माप विज्ञान नियंत्रक
सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश

विषय: पहले से पैक किए बिक्री न की गयी वस्तुओं के स्टॉक पर जीएसटी के प्रभाव के संबंध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय का संदर्भ लेने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 33 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, जहां केंद्र सरकार ने विनिर्माताओं या पैकर्स या पूर्व में पैक की गयी वस्तुओं के आयातकों को इसके द्वारा अनुमति दी गयी है कि 01 जुलाई, 2017 से पहले विनिर्मित/ पैक किए गए /आयातित अबिक्रित स्टॉक के परिवर्तित खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) की घोषणा उन पर जीएसटी के कारण बढ़ी हुई राशि को जोड़ कर करें, यदि कोई हो, जो कि 01 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2017 तक तीन महीने के लिए मौजूदा खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) के अलावा होगी । परिवर्तित खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) की घोषणा, निम्नलिखित शर्तों का पालन करने के उपरांत, जैसा भी मामला हो, मुहर लगाकर या स्टिकर द्वारा या ऑनलाइन प्रिंटिंग के जरिए किया जा सकता है:

(i) किसी भी मामले में, मूल रूप से पैकेज पर मुद्रित खुदरा बिक्री मूल्य और संशोधित मूल्य के बीच का अंतर, यदि कोई हो, कर में वृद्धि की सीमा या नया कर लागू करने के मामले में, ऐसा नया कर, जीएसटी अधिनियम और नियम के कार्यान्वयन पर नए कर में वृद्धि के अंतर से अधिक नहीं होगा।

(ii) मूल खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) को प्रदर्शित करना जारी रखा जाएगा, और संशोधित मूल्य को उस पर ओवरराइट नहीं किया जाएगा।

(iii) ऐसे पैकेजों की कीमत में परिवर्तन को दर्शाते हुए निर्माता या पैकर्स या आयातक, इस संबंध में एक या एक से अधिक अख़बारों में कम से कम दो विज्ञापन देंगे और डीलरों और केंद्र सरकार के निदेशक, विधिक माप विज्ञान और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में विधिक माप विज्ञान नियंत्रकों को नोटिस परिचालित करके जानकारी देंगे ।

2. इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया है कि विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के उप-नियम (3) के तहत; "अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) को कम करने के लिए, संशोधित कम एमआरपी (सभी करों सहित) के साथ एक स्टिकर को चिपकाया जा सकता है, जैसा भी

मामला हो, और यह निर्माता या पैकर या आयातक द्वारा पूर्व में पैकेज के लेबल पर की गई एमआरपी की घोषणा को कवर नहीं करेगा"।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी पैकेजिंग सामग्री या लपेटन (रैपर), जो 01 जुलाई, 2017 से पहले निर्माता या पैकर या आयातक द्वारा समाप्त नहीं किया जा सका है, को मुहर लगाकर या स्टिकर द्वारा या ऑनलाइन प्रिंटिंग के जरिए जीएसटी के बारे में खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) में आवश्यक सुधार करने के बाद, 30 सितंबर, 2017 तक या फिर उस तिथि तक, जो भी पहले हो, ऐसी पैकिंग सामग्री या लपेटन (रैपर) का पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जब तक की यह समाप्त न हो जाए।

भवदीय,

ह.
(बी.एन.दीक्षित)
निदेशक, विधिक माप विज्ञान
फोन: 011-23389489 फ़ैक्स: 011-23385322
ईमेल: dirwm-ca@nic.in

प्रतिलिपि: सभी उद्योग/उद्योग संघ/हितधारक